न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– नयन गौतम आई.ए.एस.

अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 125 / 2025

शिवराजसिंह पुत्र श्री मलसिंह जाति जटसिख निवासी चक 14 जेड तहसील श्रीगंगानगर हाल आबादी 16 केएसडी अलीपुरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज.)।

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. गैजसिंह
2. बलराजसिंह
3. सुखराजसिंह

| पिसरान गुरबचनसिंह उर्फ मिठठूसिंह कौम रामगढिया साकिनाए चक 15 जेड तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर ।

4. योगपाल पुत्र श्री टीकूराम जाति बैरागी साकिन चक 15 जेड. तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर
5. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर ।

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत रास्ता

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री रणजीत सारडीवाल — प्रार्थी
2. अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 स्वयं उपस्थित।
3. पैरोकार राज — अप्रार्थी –5

– :: निर्णय ::–

दिनांक :– 08.10.2025

प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से खातेदारी कृषि भूमि चक 1 4 जैड तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर के खातासं. 57 / 33के मुरबानं. 29 (5.0600) है. नहरी, मुरबा नं.38 (0.3370) है. बारानी मुरबा नं. 52 (3. 5570) है. नहरी भूमि यानि कुल रकबा8.9540 है. नहरी बारानी भूमि में से हिस्सा 2912 / 4477दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं नकल जमाबन्दी सं. 2070–73 संलग्न प्रार्थनापत्र है। प्रार्थनापत्र के पैरा सं. 1 में वर्णित कृषि भूमि चक 14 जैड तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर के खाता सं.57 / 33 के मुरबा नं. 29 में किला नं.2 में प्रार्थी की कृषि भूमि है तथा इसी मु.नं. 29 के किला नं. 2 में प्रवेश करने के लिए चक 15 जैड तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर के खाता [illegible] नम्बर 21 में 1.5 बिस्वा यानि 0.0189है.,किला नम्बर 22 का द[illegible] कोर्नर साईज 12 इन्टू 12 फुट यानि 0.0013 है. तथा खाता सं. [illegible] ता 25 प्रत्येक में 1.5–1.5 बिस्वा यानि 0.0945 है [illegible] दराज से लगातार स्थायी रास्ता चल रहा है तथा प्रार्थी एवं प्रार्थी का परिवार इसी रास्ता में से होकर अपने खेत में प्रवेश करते है उत्तक है रास्ता लगात[illegible]चलने के बावजूद आज तक

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.23 15:48:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व रिकार्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज नही हुआ जोकि वर्तमान में उक्त खाता सं. 96/40की कृषि भूमि अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 गेजसिंह वगेरहा के नाम से तथा खाता सं . 71/62 की कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 4 योगपाल पुत्र श्री टीकूराम के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है नकल जमाबन्दी सं. 2070—73 संलग्न प्रार्थनापत्र है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड चक 15 जैड तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर के मुरबा नं.40 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक में 2—2 बिस्वा सरकारी रास्ता चल रहा है प्रार्थी इसी सरकारी रास्ता से होकर चक 15 जैड के खाता सं. 71/62 के मुरबा नं. 39 के किला नं.21 में 1.5 बिस्वा यानि 0.0189है., किला नम्बर22 का दक्षिण पश्चिमी कोर्नर साईज 12 इन्टू 12 फुट यानि 0.0013 है तथा खाता सं. 96/40 के मुरबा नं. 40 के किला नम्बर 21 ता 25 प्रत्येक में 1.5—1.5 बिस्वा यानि कुल 0.0945 है. रकबा में पूर्व से पश्चिमी दिशा में चल रहे रास्ते से अरसा दराज से अपने खेत में आता जाता रहा है तथा इसी रास्ता में से होकर जन साधारण आवागमन करते है आम जन की सुविधा तथा प्रार्थी को होने वाली अनावश्यक परेशानी से बचने के उद्देश्य से उक्त रास्ता का राजस्व रिकार्ड मे गै. मु. रास्ता अंकन किया जाना अति आवश्यक है क्योंकि उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी को अपने खेत में आने जाने का कोई अन्य नजदीक रास्ता विकल्प के तौर पर उपलब्ध नहीं है इसलिए प्रार्थी ने उक्त रास्ता स्वीकृत करवाने हेतू नियमानुसार आवेदन किया है। प्रार्थी को उक्त रास्ते के सिवाय अन्य कोई रास्ता अपने खेत में जाने जाने के लिये उपलब्ध नही है जिसके कारण प्रार्थीगण को काश्त करने में अत्यधिक परेशानी होती है कानूनन प्रथम दृष्टया प्रत्येक मुरब्बे मे आने—जाने के लिये रास्ता देना राज्य सरकार का कर्तव्य है इसलिए प्रार्थीगण को उसकी भूमि में आने—जाने के लिये रास्ता की माँग को स्वीकार किया जाना इंन्साफ की दृष्टि से भी अति आवश्यक है। प्रार्थी ने उक्त रास्ता के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण संख्या 1 ता4 को पिछले सप्ताह रास्ता स्वीकृत करवाने का निवेदन किया तो अप्रार्थीगण ने साफ इनकार कर दिया यही प्रार्थनापत्र पेश करने का कारण है इंनकारी से वादकारण हासिल हुआ है। उक्त वर्णित अप्रार्थीगण संख्या 1 ता4 की खातेदारी कृषि भूमि में चल रहे रास्ता में आई कृषि भूमि को मेरे दादा भागसिंह एवं उसके भाई करतारसिंह पिसरान बिलासिंह ने जरिये दस्तावेज बैयनामा दिनांक 07.12.1966 को पूर्णसिंह पुत्र बिशनसिंह से चक 15 जैड के तत्कालीन मुरबा नं. 41 के किला नं. 21 ता2 5 प्रत्येक में 1.5—1.5 बिस्वा रकबा एवं मुरबा नं.40 के किला नम्बर 21 में 1.5बिस्वा यानि 0.0189है., किला नम्बर 22 में 0.5 बिस्वा यानि कुल 9.5बिस्वा रकबा कीमतन खरीद किया हुआ है तथा उक्त दस्तावेज बैयनामा कार्यालय उप पंजीयक श्रीगंगानगर के पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 245 पृ.सं. 297—298 क.सं. 1199 दिनांक 12.12.1966 को पंजीबद्व है प्रार्थी का परिवार इसी बैयनामा के रोज से आज तक उक्त रकबे का रास्ते के रूप में लगातार उपयोग उपभोग किया जा रहा है इसलिए उक्त रकबा का राजस्व रिकार्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज किया जाना जरूरत है दस्तावेज बैयनामा की प्रति संलगन प्रार्थनापत्र है। अप्रार्थी सं. 5 लैण्ड होल्डर है जिसकी सहमति आवश्यक है इसलिये पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थना पत्र अदालतवाला [illegible] है जो इनकारी से अन्दर अवधि उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है [illegible] पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत [illegible] कर निवेदन है कि चक 15 जैड [illegible] खाता सं. 71/62 के मुरबा नं. 39 के किलानं. 21 में 1.5 बिस्वा (यानि 0.0189है.) किला नं. 22 का दक्षिण—पश्चिमी कोर्नर साईज 12 इन्टू 12 फुट (यानि 0.0013 है) तथा खाता सं. 96/40 के मुरबा नं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.23 15:48:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

40 के किला नं. 21 ता 25 प्रत्येक में 1.5–1.5 बिस्वा (यानि 0.0945 है.) पूर्व से पश्चिम में मौका पर चल रहे रास्ता को प्रार्थी के खेत में आने–जाने के लिये मंन्जूर किया जाकर रास्ता चालू करने का आदेश प्रदान करे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट ली गई। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा इकबालिया जवाब पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार उपरोक्त अनवानी प्रकरण में चक 15 जैड के मुरबा नम्बर 40 के किला नम्बर 21 ता 25 में 1–1/2 बिस्वा प्रतिबीघा रास्ता चाहा गया हैं उक्त रास्ता लम्बे समय से चल रहा है व हमारे पूर्वजों ने इसकी ऐवज में राशि प्राप्त कर ली थी। उक्त भूमि प्रार्थी व उसके भाईयों के नाम से दर्ज है । अतः पंचायती राजीनामा अनुसार हम प्रार्थीगण चक 15 जैड के मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 21 ता 25 में मुरब्बा लाईन पर 1–1/2 बिस्वा प्रतिकिला गैरमुमकिन रास्ता करवाने हेतु बिना किसी प्रतिकर राशि व बिना भूमि के निःशुल्क रास्ता दर्ज करने हेतु सहमति प्रदान करते हैं। माननीय न्यायालय से निवेदन है कि उक्तानुसार निर्णय पारित करने की कृपा करे ।

अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा इकबालिया जवाब पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार उपरोक्त अनवानी प्रकरण में चक 15 जैड के मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 21 में 1–1/2 बिस्वा व किला नम्बर 22 में दक्षिण–पश्चिम कोर्नर पर 10 गुणा 10 वर्गफुट अर्थात 0.0009है० रास्ता चाहा गया है। उक्त रास्ता लम्बे समय से चल रहा है व मौका पर उक्त भूमि प्रार्थी के नाम से दर्ज है। उक्त भूमि की ऐवज में पंचायती राजीनामा अनुसार वादीगणों से प्रार्थी द्वारा 28500/– रूपये नगद प्राप्त कर लिये गये है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि चक 15 जैड के मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 21 में 1–1/2 बिस्वा व किला नम्बर 22 में दक्षिण–पश्चिम कोर्नर पर 10 गुणा 10 वर्गफुट अर्थात 0.0009 है० भूमि पर गैरमुमकिन रास्ता बिना किसी प्रतिकर व बिना किसी भूमि के निःशुल्क दर्ज किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करे ।

अप्रार्थी संख्या 2, 3, द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया गया।

तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई।

– :: आदेश ::–

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 द्वारा बहस में कथन किए गये कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य आपसी समति है एवं अप्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में भी सहमति के बतौर हस्ताक्षर कर प्रार्थी का रास्ता स्वीकृत किये जाने बाबत सहमति प्रदान की गई है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251–ए आर.टी.ए. एवम् तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। 251ए राज. काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु "वैकल्पिक रास्ते का अभाव" एवं "रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता" के बिन्दुओं पर विचारण किया गया। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में जाने हेतु रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने–जाने हेतु रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की भूमि में आने जाने हेतु चक 15 जैड तह एव जिला श्रीगंगानगर के खाता सं. 71/62 के मुरबा नं. 39 के किलानं. 21 में 1.5 बिस्वा (यानि 0.0189है.) किला नं. 22 का दक्षिण–पश्चिमी कोर्नर साईज 12 इन्टू 12 फुट (यानि 0.0013 है) तथा खाता सं. 96/40 के मुरबा नं. 40 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.23 15:48:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

किला नं. 21 ता 25 प्रत्येक में 1.5–1.5 बिस्वा (यानि 0.0945 है.) पूर्व से पश्चिम में मौका पर चल रहे रास्ता को बतौर गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है।

अप्रार्थीगण द्वारा प्रतिकर की राशि पूर्व में प्राप्त की जा चुकी है। इसलिए प्रतिकर देय नहीं है।

तहसीलदार श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है, की उक्तानुसार रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन करे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 08.10.2025 को जारी किया जाकर खुले न्यायालया में सुनाया गया।

(नयन गौतम)आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.23 15:48:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner